



सत्यमेव जयते

दावा क्रमांक :

निःशुल्क

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,
प्ररूप-ख

सामुदायिक अधिकारों के लिये दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, २००८
का नियम ११(१) (क) और ११(४) देखें.

१. दावेदार (रों) का / के नाम :-
(क) एफडीएसटी समुदाय :-
(वन में निवास करने वाले अनु. जनजाति).
(ख) ओटीएफडी समुदाय :-
अन्य परम्परागत वनवासी.

नाम	आयु	अनुसूचित जनजाति	परम्परागत वनवासी

२.	ग्राम	
३.	ग्राम पंचायत	
४.	तहसील / तालुका	
५.	जिला	
६.	प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप	
१.	सामुदायिक अधिकार जैसे – निस्तार, यदि कोई हो :- [अधिनियम की धारा ३(१) (ख) देखें]	
२.	गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :- [अधिनियम की धारा ३(१) (ग) देखें].	
३.	समुदायिक अधिकार :-	
	(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) यदि कोई हो :-	
	(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :-	
	(ग) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हो :- [अधिनियम की धारा ३(१) (घ) देखें].	
४.	पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हो :- [अधिनियम की धारा ३(१) (ड) देखें].	

	५.	जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो :- [अधिनियम की धारा ३(१) (ट) देखें].	
	६.	अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :- [अधिनियम की धारा ३(१) (ठ) देखें].	
	७.	समर्थन में साक्ष्य :- (नियम १३ देखें).	
	८.	अन्य कोई सूचना	

दावेदार(रों) के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान.

(सचिव)
वन अधिकार समिति